Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/Pfiofficial

प्रेस रिलीज़

कालीकट

10 नवंबर 2019

बाबरी मस्जिद का फैसला न्याय के ख़िलाफ
न्याय के लिए उठाऐं आवाज

बाबरी मस्जिद मालिकाना हक के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुचित है और इस तरह यह अस्वीकार्य है। यह फैसला अल्पसंख्यकों को हासिल धर्म पर अमल की आज़ादी के खिलाफ है जो कि एक मौलिक अधिकार है। वहीं यह फैसला तमाम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के भी ख़िलाफ है। साथ ही यह हमारी न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके सम्मान और साख को कमज़ोर करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की पूरी ज़मीन को राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया है और मुसलमानों को किसी वैकल्पिक ज़मीन पर बाबरी मस्जिद बनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हकीकत को दोहराया है कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी और कोर्ट ने यह माना है कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और मस्जिद को ढहाना कानून का उल्लंघन था। लेकिन इन तमाम तथ्यों के बावजूद फैसला बिल्कुल विपरीत दिया गया। फैसले में बुनियादी तौर पर, अतिक्रमित और विध्वस्त मस्जिद की भूमि के असल मालिकों के मालिकाना हक को पूर्ण रूप से नकार दिया गया और अतिक्रमण करने वालों और कानून तोड़ने वालों को उसी जगह पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी गई।

बाबरी मस्जिद के खिलाफ सुनियोजित बर्बरता की कई घटनाएं पूरी दुनिया ने देखी हैं, जो आखिरकार मस्जिद विध्वंस का कारण बनीं। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा उसी जगह पर मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया।

यह सिर्फ मस्जिद–मंदिर का मामला नहीं है। तथ्यों और सबूतों को बुनियाद बनाने के बजाय, इस फैसले में बहुसंख्यक वर्ग की आस्था और धार्मिक दावों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। फैसले में मालिकाना हक के असल मुकदमे के पैरोकारों की फरियादों का ज़रा भी ध्यान नहीं दिया गया है। बल्कि न्याय के उसूलों पर बहुसंख्यक वर्ग की चाहत को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह मामला हल होने वाला नहीं है, बल्कि इसने अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म स्थलों पर हिंदू मंदिर के दावों को लेकर और ज़्यादा समस्या खड़ी कर दी है।

आरएसएस ने फैसले से पहले ही खौफ और खामोशी का माहौल तैयार कर दिया था और इसके लिए कई तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी। आरएसएस ने खुद को हिंदुओं के अधिकारों का एकमात्र प्रतिनिधि बना रखा है।

विरोध एक लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक ज़िम्मेदारी है। अदालत समेत लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में अगर गड़बड़ी हो तो उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लोगों से चुप्पी तोड़ने और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की अपील करता है।

एम. मोहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया